बिहार सरकार
कृषि विभाग

Mail/Fax पत्र संख्या–3/कृ०बजट आवंटन–28/2014– 176 आवंटन/कृ0, पटना, दिनांक 28/11/ , 2014

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, जमुई, सहरसा।

विषय : **खरीफ 2014 में अनीयमित मानसून/बाढ़/ सुखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2014–15 में सिचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु 769.06 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 16.18 करोड़ रूपये कुल 785.24 करोड़ रूपये (सात अरब पचासी करोड़ चौबीस लाख रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति तथा इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जाति के लिए 5152.72 लाख रूपये (एकावन करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप तत्काल व्यय हेतु कुल ₹33,61,605 (तैंतीस लाख एकसठ हजार छः सौ पाँच रू० मात्र) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–3158 दिनांक–15.07.2014 के द्वारा खरीफ 2014 में अकनयीमत मानसून/बाढ़/ सुखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2014–15 में सिचाई के लिए डिजल अनुदान हेतु 769.06 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 16.18 करोड़ रूपये कुल 785.24 करोड़ रूपये (सात अरब पचासी करोड़ चौबीस लाख रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति तथा इसके अधीन तत्काल अनुसूचित जाति के लिए 5152.72 लाख रूपये (एकावन करोड़ बावन लाख बहत्तर हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। तत्काल व्यय हेतु कुल ₹33,61,605 (तैंतीस लाख एकसठ हजार छः सौ पाँच रू० मात्र) की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹33,61,605 (तैंतीस लाख एकसठ हजार छः सौ पाँच रू० मात्र) का व्यय बजटशीर्ष– 2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –मांग सं०–1–उपशीर्ष–0125–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड –P2401007890125, विषयशीर्ष–33 01–सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2014–15 के लिए उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 एवं पत्रांक–6720 वि0 (2) दिनांक –25.07.2014 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन
28/11/14
(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Rashmi dt-25.07.2014..doc

ज्ञापांक 176 आवंटन

/कृ0, पटना, दिनांक 28/11/, 20

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/11/14

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 176 आवंटन

/कृ0, पटना, दिनांक 28/11/, 2014

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/कृषि निदेशक/निदेशक, पी0 पी0 एम0, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक, (बीज) कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग–सह–उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

28/11/14

सरकार के संयुक्त सचिव।